

13/10/2025

~~वसुधाय सेवाकार उपस्थित । साक्ष्य प्रतिवादी
 के गवाह रुधवाय उपस्थित । अधिवक्ता वादी
 के साथ अधिवक्ता श्री शंकरा कुटी द्वारा
 जाहिर किया गया कि वादी अधिवक्ता किसी
 अन्य न्यायालय में कसम के जमानत होने के
 कारण फिर हेतु उपस्थित होने के उपसमर्थ
 हुए वादी अधिवक्ता को न्यायालय में गवाह
 से प्रतिपरीक्षा का राक उपपक्ष दिया जाता
 है । आइए आवश्यक रूप से फिर
 करे । पत्रावली वाले साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक
 14/10/25 को पेश है ।~~

ममता रोहिला
 वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायाधीश
 सींगस, जिला-सीकर